

ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 13/2020

शहनाज प्रवीण –बनाम–राज्य

तारिख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर:–	अभियुक्ति
	<p>आवेदिका शहनाज प्रवीण, पति मो० इस्लाम, ग्राम केसठ, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग ने आवेदन समर्पित किया है कि मौजा मरहेडी, थाना चौपारण, थाना नं० 60, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं० 09, प्लॉट में प्लॉट 251 रकबा 04 डी० भूमि बिक्रेता शिवप्रसाद एवं आशा देवी से क्रय की गयी है, प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं० 506R27/2018-19 द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति का कारण हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>इस कार्यालय के पत्रांक 186, दिनांक 10.11.2020 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी चौपारण से की गयी थी जिसके आलोक में अंचल अधिकारी के पत्रांक 1246, दिनांक 31.12.2020 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मरहेडी, थाना चौपारण, थाना नं० 60, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं० 09, प्लॉट में प्लॉट 251 रकबा 04 डी० बकास्त खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका को विक्रय पत्र केवाला द्वारा हासिल है। ऑनलाईन पंजी–II में खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। खेसरा का विस्तृत विवरण अपलोड करने हेतु जमाबंदी रैयत की दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उक्त दस्तावेज समय सीमा के अन्दर उपलब्ध नहीं कराने के पश्चात नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>अतएव शहनाज प्रवीण, पति मो० इस्लाम, ग्राम केसठ, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग को निदेशित किया जाता है कि खेसरा का विस्तृत विवरणी अपलोड करने हेतु जमाबंदी रैयत का दस्तावेज एवं आवश्यक राजस्व कागजात अंचल कार्यालय चौपारण में जमा करना सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण को आदेश दिया जाता है कि आवेदिका के प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा एवं जमा किये गये राजस्व कागजात जाँचोपरांत सही पाया जाता है तो नियमानुसार ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए पंजी–II में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी आवेदिका के नाम से खोलते हुए शुद्धि पत्र एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता बरही, (हजारीबाग)</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता बरही, (हजारीबाग)</p>	